# अध्याय छः अन्य कर भिन्न प्राप्तियां

## खण्ड अ: वानिकी एवं वन्य जीवन

## 6.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय पर आठ अति.प्र.मु.व.सं. एवं 16 प्र.व.सं. होते हैं। राज्य के कुल वन क्षेत्र को छः वन वृत्तों में विभक्त किया गया है जिसके प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। इन वन वृत्तों को पुनः वनमंडलों में विभाजित किया गया है जिनका प्रशासन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा मैदानी कार्य में उसकी सहायता हेतु उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.मं.अ.) एवं परिक्षेत्राधिकारी (प.अ.) होते हैं।

वन विभाग निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्तियों का संचालन करते हैः—

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1960 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियमों;
- वन वित्तीय नियम; एवं
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004

## 6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2014—15 में वन प्राप्तियों के कुल 60 इकाईयों में से 12 इकाईयों के नमूना जांच किये जिसमें से वनोपज के अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर विक्रय किये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति , वनोपज की कमी/गुणवत्ता में ह्रास के कारण राजस्व की अप्राप्ति/कम प्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पदान आदि के 343 प्रकरणों जिनमें ₹ 14.90 करोड़ सन्निहित थी, जिसका श्रेणीवार विवरण निम्न तालिका 6.1 में दिया गया हैः

**तालिका 6.1**

*(₹ करोड़ में)*

| स.क्र. | श्रेणी | कुल प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर वनोपज के विक्रय करने से राजस्व की कम प्राप्ति | 12 | 1.53 |
| 2 | वनोपज के गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण राजस्व की अप्राप्ति | 165 | 1.48 |
| 3 | काष्ठ के कम उत्पादन से राजस्व हानि | 12 | 1.87 |
| 4 | अन्य अनियमिततायें | 154 | 10.02 |
| | योग | 343 | 14.90 |

वर्ष 2014—15 के दौरान विभाग ने 72 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 7.35 करोड़ सन्निहित थे को स्वीकार किया है।

कुछ उल्लेखित प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 16.60 लाख सन्निहित थे, को अनुवर्ती कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

## 6-3 dk"B izp;ksa dks rS;kj ,oa foØ; djuk

### 6-3-1 uhykeh fd;s tkus gsrq izp;ksa dks rS;kj djus gsrq foHkkxh; funsZ'kksa dk ikyu u fd;k tkuk

**foØ; gsrq 'kq) dk"B izp;ksa dks rS;kj djus gsrq foHkkxh; funsZ'kksa dk ikyu u djus ds dkj.k izp;ksa dk foØ; foyEc ls gksuk ftlds QyLo:i jktLo ₹ 11-57 yk[k dh jktLo gkfu gqbZA**

वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.), दंतेवाड़ा के काष्ठ नीलाम, सामग्री सूची एवं उससे संबंधित अन्य अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2013) किये जाने पर देखा गया कि सितम्बर 2011 एवं मार्च 2013 के मध्य कुल 12 नीलामों में से 9 नीलामों में कुल 24 मिश्रित श्रेणी एवं 28 मिश्रित साल श्रेणी के प्रचयों जिसमें 193.786 घन मिटर सन्निहित थे को नीलामी हेतु रखा गया। इन मिश्रित प्रचयों में तीन से छह लंबाई वर्ग, तीन से आठ छाती गोलाई वर्ग एवं तीन से चार वर्ग के अलावा अनसाऊन्ड श्रेणी के काष्ठ भी थे। प्रचयों के तैयारी में लठ्ठों एवं बल्लीयों को भी मिलाया गया।

यह प्र.मु.व.सं. के निर्देशों (फरवरी 2010) के विपरीत था, जो यह प्रावधानित करता है कि प्रचय को तैयार करते वक्त एक ही लंबाई वर्ग के काष्ठ को सम्मलित किया जाय ताकि नीलामी के समय विक्रय पर अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त किया जा सके। छाती गोलाई वर्ग को एक या अधिकतम उससे एक वर्ग अधिक का मिश्रण किया जा सकता है। व.सं., जगदलपुर ने भी (अगस्त 2011) में यह आदेश दिये थे कि संभवतः शुद्ध प्रचयों तैयार करें क्योंकि मिश्रित प्रचय के विरूद्ध शुद्ध प्रचय का विक्रय मूल्य अधिक होता है।

व.मं.अ. द्वारा शुद्ध प्रचयों को तैयार करने हेतु प्र.मु.व.सं के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया। व.सं., जगदलपुर द्वारा काष्ठ के नीलामी की स्विकृति देते वक्त भी इसका ध्यान नहीं रखा गया। निर्धारित सीमा से अधिक विभिन्न लंबाई[1], छाती गोलाई[2] एवं श्रेणी[3] को मिश्रण करने से काष्ठ के विक्रयों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन प्रचयों को प्रथम नीलामी में विक्रय नहीं किया जा सका एवं आगामी नीलामों (प्रथम नीलामी के दो से नौ माह बाद) में अवरूद्ध दर[4] से 15 से 61 प्रतिशत नीचें में विक्रय किया जाना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 11.57 लाख का राजस्व हानि हुआ, जिसका विस्तृत विवरण *ifjf'k"V 6-1* में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि विदोहन पश्चात् दोनों उच्च एवं निम्न श्रेणीयों के काष्ठ प्राप्त हुऐ। सर्वप्रथम उच्च श्रेणीयों के काष्ठों का तैयार किया गया एवं उसके पश्चात् निम्न श्रेणीयों के काष्ठों का मिश्रित प्रचय नीलामी हेतु तैयार किये गये। इन प्रचयों का विभागीय निर्देशों अनुसार ही विक्रय किया गया है। निम्न श्रेणीयों के शुद्ध प्रचय तैयार नहीं किये गये क्योंकि इनके विक्रय पर हानि होने कि संभावना थी।

---

1 काष्ठ को 0–1, 1–2, 2–3, 3–4, 4–6 एवं 6 मीटर से ऊपर लंबाई वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। साल श्रेणी हेतु 0–2, 2–3, 3–5 एवं 5 मीटर से ऊपर लंबाई वर्ग में वर्गीकृत किया गया है।

2 काष्ठ को 21–30, 31–40 (बल्ली) 41–50, 51–60, 61–75, 76–90, 91–105, 106–120, 121–135, 136–150 एवं 150 सेंटीमीटर (लठ्ठा) से ऊपर गोलाई वर्ग। साल श्रेणी हेतु 31–40, 41–50 (बल्ली), 51–60, 61–90, 91–120 एवं 120 सेंटीमीटर (लठ्ठा) से ऊपर गोलाई वर्ग में किया गया है।

3 काष्ठ को III, III A, III B, IV, IV A, IV B एवं अनसाऊन्ड में वर्गीकृत किया गया है।

4 अवरूद्ध दर प्रत्येक काष्ठ प्रचयों का आरक्षित दर है, जिसे प्रथम नीलामी में उससे निचे में विक्रय नहीं किया जा सकता।

हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि प्र.मु.व.सं. ने यह देखा (फरवरी 2010) है कि विभिन्न लंबाईयों, गोलाई एवं श्रेणीयों के मिश्रण से काष्ठों के विक्रय मूल्यों में गिरावट आती है इसलिए यह निर्देशित किया कि एक प्रचय में एक ही लंबाई वर्ग के काष्ठ सम्मलित हो एवं छाती गोलाई एवं श्रेणी वर्ग में अधिकतम एक वर्ग ऊपर/निचें कि भिन्नता हा सकती है। जबकि, प्रावधानित सीमा के विरूद्ध मान्य दो श्रेणीयों के विरूद्ध तीन से छह श्रेणीयों का मिश्रण कर प्रचयों को तैयार किया गया। आगे इन मिश्रित प्रचयों में से छह अलग लंबाई वर्ग एवं तीन से सात गोलाई वर्गों के काष्ठ का भी मिश्रण किया गया।

## 6-3-2 dk"Bk dk xj&okf.kfT;d nj l uhp nj ij foØ; fd;k tkuk

dk"B ip;k d uhykeh e xj&okf.kfT;d nj l fup e foØ; dju ij ₹ 5-03 yk[k jktLo dh gkfu gbA

प्र.मु.व.सं. द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 2005) अनुसार काष्ठों का गैर–वाणिज्यिक दर का निर्धारण काष्ठ के श्रेणीयों के गोलाई वार आयतन को डिपों में प्राप्त गोलाई वार औसतन दर से गुणा करने के पश्चात् काष्ठों के विदोहन एवं उसके डिपों में परिवहन को घटाने क बाद प्राप्त दर होंगे। वास्तविक में काष्ठ का गैर–वाणिज्यिक दर खड़े वृक्ष का मूल्य होता है।

वनमंडलाधिकारी (व.मं.अ.), दंतेवाड़ा के नीलामी, गैर–वाणिज्यिक दरों के निर्धारण एवं उनसे संबंधित अभिलेखों के नमूना जांच (दिसम्बर 2013) में देखा गया कि सितम्बर 2011 एवं जनवरी 2013 के मध्य 11 नीलामी में से आठ निलामी में 39 प्रचयों जिसमें 160.295 घनमीटर साल काष्ठों सम्मलित थे का विक्रय उनके प्रथम नीलामी में रखे जाने के दो से पांच माह के भीतर किया गया। इन काष्ठों का अवरूद्ध दर ₹ 25.47 लाख के विरूद्ध मात्र ₹ 16.87 लाख ही विक्रय राशि प्राप्त हुई।

संदर्भित वर्ष के गैर–वाणिज्यिक दर अनुसार इन काष्ठों का मूल्य ₹ 21.90 लाख था। अतः इन काष्ठों का विक्रय से प्राप्त राशि खड़े वृक्ष के गैर–वाणिज्यिक मूल्य से भी कम था। विभाग द्वारा प्रथम नीलामी के छह माह के भीतर काष्ठो के विक्रय के समय गैर–वाणिज्यिक मूल्य को लेखा में नहीं लिया गया। अतः विभाग द्वारा मूल्यवान काष्ठों एवं साल के विक्रय के समय गैर–वाणिज्यिक दर का ध्यान न रखने के कारण राजस्व राशि ₹ 5.03 लाख की हानि हुई, जिसका विवरण *ifjf'k"V 6-2* में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि काष्ठ प्रचयों के प्रथम नीलामी के दौरान प्राप्त विक्रय मूल्य अवरूद्ध मूल्य अनुसार नहीं मिल सका। पश्चातवर्ती नीलामी में विक्रय मूल्य शासन के निर्देशानुसार अनुमोदन किये गये थे। हम उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि गैर–वाणिज्यिक दर से कम दर पर विक्रय करने पर शासन को राजस्व ही हानि हुई। विभाग को यह सुनिश्चित करना था की काष्ठों के नीलामी से कम से कम गैर–वाणिज्यिक मूल्य प्राप्त हो सके।

## 6-4 vkrfjd y[kkijh{kk

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा (आं.ले.प.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और सह संगठन को आश्वासन देने योग्य बनाता है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार कुल पांच स्वीकृत पद के विरूद्ध कुल तीन कार्यरत थे। वर्ष 2014–15 के दौरान आं.ले.प.श. द्वारा 17 ईकाइयों का निरीक्षण हेतु योजना बनाई गई जिसमें से सभी 17 इकाईयों का निरीक्षण किया गया। इन 17 इकाईयों के निरीक्षण प्रतिवदेनों के 31 प्रेक्षणों में कुल राशि ₹ 10.62 लाख के वित्तीय

अनियमिततायें इंगित किये गये। विभाग ने अपने उत्तर (जूलाई 2015) में कहा कि स्थानीय कार्यालयों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् उचित कार्यवाही की जावेगी।

वर्ष 2014–15 के समाप्ति के तीन माह बीत जाने के पश्चात् भी आं.ले.प.श. द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर प्राप्त न होना इंगित करता है कि विभाग आंतरिक लेखापरीक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

## [k.M c% vykg [kfut ,o [kfudeZ m|kx

## 6-5 dj i'kklu

शासन स्तर पर सचिव, खनिज संसाधन विभाग संबंधित खनन अधिनियमों एवं नियमों के क्रियान्वयन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त सह–संचालक, भौतिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.) खनिज संसाधन विभाग के प्रमुख है जिनकी सहायता हेतु एक अतिरिक्त निर्देशक, खनिज प्रशासन (अति.स.ख.प्र.) 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनन अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते है।

खनिज राजस्व निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासीत होते है:

- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम, 1960;एवं
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996

## 6-6 ys[kkijh{kk ifj.kke

हमने वर्ष 2014–15 में खनिज संसाधन विभागों के 16 इकाईयों में से आठ कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जांच किय जिसमें राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति, अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण एवं अन्य अनियमितताऐं इत्यादि के 1,016 प्रकरणों में जिसमें राशि
₹ 22.94 करोड़ सन्नहित थे, जो की नीचे rkfydk 6-2 में वर्णित है:–

**rkfydk 6-2**

*(₹ djkM e)*

| l- Ø- | Js.kh | izdj.kk dh la[;k | jkf'k |
|---|---|---|---|
| 1. | राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण | 207 | 1.80 |
| 2. | मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/कम प्राप्ति | 50 | 17.64 |
| 3. | अनिवार्य भाटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण | 35 | 0.14 |
| 4. | अन्य अनियमितताऐं | 724 | 3.36 |
| | ;kx | 1]016 | 22-94 |

वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताऐं के 329 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 1.33 करोड़ सन्नहित थें को माना है।

कुछ उल्लेखनीय प्रकरण जिसमें राशि ₹ 7.06 करोड़ सन्निहित है का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है

## 6-7 vkl r okf"kd jkT;k'k dh xyr ifjx.kuk djus ds dkj.k eqnkd 'kYd ,o iathdj.k Qhl dk de ikfIr

[kfuiV~Vk foys[k ds iathdj.k gsrq vkl r okf"kd jkT;k'k dh xyr ifjx.kuk fd;k x;kA ifj.kkeLo:i eqnkd 'kYd ,o iathdj.k Qhl dh jkf'k
₹ 6-92 djkM+ dk vojksi.k gqvkA

हमने कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, सरगुजा के 13 खनिपट्टों के नमूना जांच (जनवरी 2015) करने पर देखा गया कि एक कंपनी के पक्ष में कोयला खनन हेतु 30 वर्ष के लिए खनिपट्टा का निष्पादन (मई 2012) किया गया। मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण हेतु पट्टा अवधि के प्रथम पांच वर्षों के लिए औसत अनुमानित उत्पादन 7.4 मिलियन टन के आधार पर औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 62.16 करोड़ निर्धारण किया गया। तद्नुसार पट्टेदार से मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि क्रमशः ₹ 16.32 करोड़ एवं ₹ 11.66 करोड़ का आरोपण कर वसूल की गई।

राज्य शासन ने निर्देश जारी (नवम्बर 2011) कर समस्त उपसंचालक, खनिज एवं खनिज अधिकारियों को निर्देशित किया था की खनिपट्टा के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का गणना भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के धारा 35 के अनुसूची एक अ अनुरूप पट्टेदार द्वारा आवेदन पत्र में दर्शित उत्खनन मात्रा या खनन योजना (माईनिंग प्लान) में दर्शायें गये मात्रा जो भी अधिक हो अनुसार औसत वार्षिक राज्यांश गणना कर लिया जावेगा।

अभिलेखों के अग्रेतर जांच में पाया गया कि खनन योजना अनुसार संपूर्ण पट्टा अवधि में अनुमानित औसत उत्पादन 9.23 मिलियन टन[5] प्रति वर्ष था। इस अनुसार औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 77.53 करोड़ अनुसार वसूलनीय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि क्रमशः ₹ 20.35 करोड़ एवं ₹ 14.54 करोड़ होती है। अतः औतस वार्षिक राज्यांश गणना करने हेतु संपूर्ण पट्टा अवधि न लिये जाने के परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 6.92 करोड़ का कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण *ifjf'k"V 6-3* में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि अपेक्षित औसत वार्षिक राज्यांश की गणना खनन योजना में निर्दिष्ट पट्टा अवधि के प्रथम पांच वर्ष में उत्खनित मात्रा अनुसार किया गया है। नवम्बर 2011 में जारी आदेशानुसार पट्टेदार द्वारा एक घोषणा पत्र कि अगर पट्टा अवधि के दौरान उत्खनित मात्रा में

---

[5]

| o"k | [kuu ;kstuk vuqlkj izfr o"k mR[kfur [kfut dh ek=k ¼eh- Vu eas½ |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | 0.00 |
| द्वितीय वर्ष | 2.00 |
| तृतीय वर्ष | 5.00 |
| चतुर्थ वर्ष उपरांत तीसवे वर्ष तक | 10.00 प्रति वर्ष |
| ;kx | 277-00 |
| lai.k iV~Vk vof/k esa vkSlru okf"kd mR[kfur ek=k ¼eh-Vu esa½ | 9-23 |

अगर कोई परिवर्तन होता है तो राज्यांश की राशि में आई परिवर्तन के कारण मुद्रांक शुल्क के अंतर की राशि जमा करने का उल्लेख है।

हम शासन के उत्तर से सहमत नहीं है क्योंकि भारतीय मुद्रांक अधिनियम 35 यह प्रावधानित करता है कि मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण संपूर्ण पट्टा अवधि में औसत वार्षिक राज्यांश अनुसार किया जायगा। इस प्रकरण में खनन योजना में वार्षिक उत्खनित मात्रा 49 वर्षों के लिए प्रावधानित है। साथ ही खनन योजना अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष को छोड़कर औसत वार्षिक उत्पादन 10 मिलियन टन था। इस प्रकार पहले पांच वर्षों का औसत संपूर्ण पट्टा अवधि के औसत से कम था। अतः पूर्ण अवधि के उत्खनित मात्रा के विरूद्ध निम्नतर मात्रा पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण करना शासकीय राजस्व के हित में नहीं था।

## 6-8 mR[kfu iVV e [kfu tk d mR[kuu ij enkd 'kYd ,o ith;u Qhl d vrj dh jkf'k olyu dk iko/kku u gkukA

vkonu e mYyf[kr ek=k l 15 l 43 xq.kk vf/kd xk.k [kfu tk dk mR[kUu fd;k x;kA vkx mR[kfu iVVk e vkofnr ek=k l vf/kd mR[kUu ij enkd 'kYd ,o ith;u Qhl dh vrj dh jkf'k dh olyh dk iko/kku u gku l jkf'k ₹ 14-29 yk[k dh enkd 'kYd ,o ith;u Qhl dh vikfIRk gbA

कार्यालय जिला खनिज अधिकारी, बिलासपुर एवं महासमुंद के कुल 280 पंजीकृत उत्खनि पट्टा अभिलेखों में से 78 पट्टा करार अभिलेखों के नमूना जांच (नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य) में पाया गया कि पट्टेदारों द्वारा दिये गये आवेदन में से तीन पट्टेदारों के आवदेनों में कुल औसत वार्षिक राज्यांश ₹ 4.91 लाख था, जिसमें मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 41,565 एवं 31,175 का आरोपण किया गया। प्रकरणों के जांच में हमने देखा कि पट्टेदारों द्वारा पट्टा आवेदन में उल्लेखित मात्रा से 15 से 43 गुणा अधिक मात्रा का उत्खन्न कर राज्यांश चुकाया गया (विस्तृत विवरण *ifjf'k"V 6-4*)। यह पट्टा क्षेत्रों में अधिक मात्रा में खनिज उत्खन्न करने पर जिला खनिज अधिकारियों के अनुश्रवण करने में कमियां को दर्शाता है।

आगे शासन द्वारा निर्देश (नवम्बर 2011) अनुसार खनिपट्टा के प्रकरण में पट्टा अवधि के दौरान खनन योजना में दर्शित उत्खनन मात्रा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो राज्यांश में आई परिवर्तन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस में अंतर की राशि जमा करने हेतु पट्टेदार द्वारा एक घोषणा पत्र भरा जावेगा। जबकि, उत्खनीपट्टा में उल्लेखित मात्रा से अधिक उत्खन्न पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के अंतर की राशि भुगतान करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 14.29 लाख की अवसूली हुई, जिसका विवरण *ifjf'k"V 6-4* मे दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (अगस्त 2015) में कहा कि भविष्य में खनन योजना अनुसार गौण खनिजों के उत्खनन पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का आरोपण हेतु निर्देश जारी कर दिये गये है। परंतु उत्तर में उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

## 6-9 vkrfjd y[kkijh{kk

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, (आं.ले.प.श.) किसी संगठन में आंतरिक नियंत्रण तंत्र का महत्वपूर्ण अंग है और इसे नियंत्रको का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को आश्वासन देने योग्य बना है कि निर्धारित पद्धतियां उचित रूप से कार्यशील है।

विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी (जून 2015) अनुसार स्वीकृत एक संयुक्त संचालक (वित्त) एवं तीन लेखापरीक्षक के विरूद्ध एक संयुक्त संचालक (वित्त) एवं दो लेखापरीक्षक आं.ले.प.श. में कार्यरत थे। वर्ष 2014–15 में शाखा द्वारा नौ इकाईयों के अंकेक्षण का लक्ष्य रखा था, जिसके विरूद्ध आठ इकाईयों का लेखापरीक्षा किया गया। आगे विभाग द्वारा यह बताया गया कि इन लेखापरीक्षित इकाईयों को मात्र अनुशंसात्मक टीप ही जारी किये गये है।